

३ - मृत्यु

प्रेषक,

आयुक्त,  
ग्राम्य विकास,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

- 1— समस्त संयुक्त विकास आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश।
- 2— समस्त मुख्य विकास अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : ४५७ / बैठक सेल / 2014,  
महोदय,

दिनांक ०७ नवम्बर, 2014

प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 13–11–2014 को समस्त संयुक्त विकास आयुक्तों एवं समस्त मुख्य विकास अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यक्रमों की प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक पूर्वान्ह 11.00 बजे से आयोजित की गयी है। बैठक का स्थान एवं एजेंडा अलग से प्रेषित किया जायेगा। अनुरोध है कि आयोजित समीक्षा बैठक में निर्धारित तिथि एवं समय पर स्वयं समस्त सूचनाओं सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीय,  
*Kamran*  
(कामरान रिजवी),  
आयुक्त,  
ग्राम्य विकास, उ०प्र०।

पत्रांक : ४५७ / बैठक सेल / 2014, तददिनांक।

- प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—
- 1— निजी सचिव, मा० मंत्री, ग्राम्य विकास, उ०प्र० शासन को मा० मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
  - 2— निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ०प्र० शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
  - 3— महानिदेशक, पं०दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
  - 4— निदेशक, सोशल आडिट, ग्राम्य विकास, उ०प्र०।
  - 5— समस्त विशेष सचिव, ग्राम्य विकास, उ०प्र० शासन।
  - 6— अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
  - 7— भिशन निदेशक, एसआरएलएम, ग्राम्य विकास, उ०प्र०।
  - 8— समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
  - 9— समस्त संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक / परियोजना निदेशक, उ०प्र०।
  - 10— अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, य०पी०आर०आर०डी०ए०, गन्ना संस्थान, लखनऊ।
  - 11— प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उत्तर प्रदेश।
  - 12— अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
  - 13— समस्त वरिष्ठ उपायुक्त / उपायुक्त / सहायक आयुक्त / योजनाधिकारी, ग्राम्य विकास, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि बैठक हेतु एजेंडा बिन्दु दिनांक 10–11–2014 के पूर्वान्ह अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना / प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।
  - 14— प्रशासनिक अधिकारी स्थापना-३ को इस आशय से प्रेषित कि बैठक की कार्यवाही नोट करने हेतु दो आशुलिपिकों, दो सहयोगियों एवं बुकलेट बाइंड करने हेतु डिस्पैच प्रभारी को भी निर्देशित करने का कष्ट करें।
  - 15— प्रकाशन अधिकारी, ग्राम्य विकास, उ०प्र०।
  - 16— सूचनाधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
  - 17— नाजिर, ग्राम्य विकास, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पूर्व की भौति उक्त समीक्षा बैठक की समस्त व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

*5/11/14*  
(वी०क०त्रिवदी)  
सहायक आयुक्त,  
ग्राम्य विकास, उ०प्र०।